निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 34 पटना, बुधवार, 2 भाद्र 1933 (श0) / 24 अगस्त 2011 (ई0)

विषय-सूची

	पृष्ठ
भाग-1—नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं।	**2-2**
भाग-1-क—स्वयंसेवक गुल्मों के समादेष्टाओं के आदेश।	---
भाग-1-ख—मैट्रीकुलेशन, आई0ए0, आई0एससी0, बी0ए0, बी0एससी0, एम0ए0, एम0एससी0, लॉ भाग-1 और 2, एम0बी0बी0एस0, बी0एस0ई0, डीप0-इन-एड0, एम0एस0 और मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षा-फल, कार्यक्रम, छात्रवृत्ति प्रदान, आदि।	---
भाग-1-ग—शिक्षा संबंधी सूचनाएं, परीक्षाफल आदि	---
भाग-2—बिहार-राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएं और नियम आदि।	**3-3**
भाग-3—भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं और नियम, 'भारत गजट' और राज्य गजटों के उद्धरण।	---
भाग-4—बिहार अधिनियम	---
भाग-5—बिहार विधान मंडल में पुर:स्थापित विधेयक, उक्त विधान मंडल में उपस्थापित या उपस्थापित किये जानेवाले प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और उक्त विधान मंडल में पुर:स्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।	---
भाग-7—संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की ज्येष्ठअनुमति मिल चुकी है।	---
भाग-8—भारत की संसद में पुर:स्थापित विधेयक, संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में पुर:स्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।	---
भाग-9—विज्ञापन	---
भाग-9-क—वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं	---
भाग-9-ख—निविदा सूचनाएं, परिवहन सूचनाएं, न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण सूचनाएं इत्यादि।	---
पूरक	---
पूरक-क	**5-6**

भाग-1

नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य वैयक्तिक सूचनाएं

नगर विकास एवं आवास विभाग

अधिसूचना

3 अगस्त 2011

सं० 01 / स्था0 / न0नि0–67 / 2008–**4342** / न0वि0एवंआ0वि0—श्री लक्ष्मी नारायण दास, मुख्य अभियंता, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार की सेवाएँ प्रशासनिक दृष्टिकोण से उनके पैतृक विभाग, पथ निर्माण विभाग, बिहार को वापस की जाती है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
(ह0) अस्पष्ट, उप–सचिव।

पर्यावरण एवं वन विभाग

अधिसूचना

9 अगस्त 2011

सं० भा०व०से०(प्रशि०)–30 / 09–2243–प०व०—श्री सी०पी० खण्डूजा, भा०व०से० (1989), वन संरक्षक, प्रशिक्षण रिजर्व, जिन्हें परियोजना निदेशक, बिहार ग्राम स्वराज योजना सोसाईटी, पटना के पद पर अतिरिक्त प्रभार में पंचायती राज विभाग, बिहार के अन्तर्गत् पदस्थापित किया गया था, की सेवा पंचायती राज विभाग से तात्कालिक प्रभाव से वापस ली जाती है।

श्री खण्डूजा वन संरक्षक, प्रशिक्षण रिजर्व के पद पर पूर्ववत् बने रहेंगे।

इनका मुख्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना का कार्यालय रहेगा।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
संजय कुमार, उप–सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट, 23—571+**20**-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in

भाग-2

बिहार-राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएं और नियम आदि।

———

Vigilance Department

———

Corrigendum

The 11th August 2011

No. Ni. Vi. /Stha (Vi.Nya.)-14/10-4787—The Case No. 89/2009, dated 31st July 2009 mentioned in last of para-1 of the declaration of memo no. 3608 dated 8th June 2010 of Vigilance Department under section 5 of the Bihar Special Courts Act, 2009 and Rules 7 of Bihar Special Courts Rules 2010 in respect of Shri Madan Prasad Srivastava is corrected as case no. 89/2007 dated 31st July 2007 and therefore the said declaration shall be read in last of the para-1 as vide case no. 89/2007, dated 31st July 2007.

Sd/-Illegible,
Principal Secretary to Government

———

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट, 23—571+**10**-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in

बिहार गजट

का

पूरक(अ0)

प्राधिकारी द्वारा प्रकाशित

मानव संसाधन विकास विभाग

अधिसूचना

8 अगस्त 2011

सं० 3/आ02–23/2008–864—डा0 राम कुँवर राम, तत्कालीन प्राचार्य, राजकीय उच्च विद्यालय, गया सम्प्रति प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, तरार (दाउदनगर), औरंगाबाद द्वारा राजकीय उच्च विद्यालय, गया पदस्थापन काल का पूर्ण प्रभार नहीं देने, क्षे0 शि0 उप–निदेशक, मगध प्रमंडल, गया के आदेश का पालन नहीं करने, अशिष्ट भाषा का प्रयोग करने, स्वेच्छाचारिता एवं निरंकुशता का परिचय देने, विद्यालय के अभिलेखों को अद्यतन नहीं रखने, वित्तीय मामलों में शिथिलता बरतते हुए लेखा संबंधी अभिलेखों को अद्यतन नहीं रखने, स्थानान्तरित लिपिक को विरमित नहीं करने आदि आरोपों के लिए क्षे0 शि0 उप–निदेशक, मगध प्रमंडल, गया से प्राप्त प्रपत्र ''क'' पर श्री राम से स्पष्टीकरण की मॉग की गयी।

श्री राम से प्राप्त स्पष्टीकरण पर क्षे0 शि0 उप निदेशक, मगध प्रमंडल, गया से विन्दुवार मंतव्य की मॉग की गयी। फलस्वरूप उनसे प्राप्त मंतव्य पर समीक्षोपरान्त सरकार द्वारा डा0 राम कुँबर राम तत्कालीन प्राचार्य, राजकीय उच्च विद्यालय, गया सम्प्रति प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, तरार (दाउदनगर) औरंगाबाद को आरोप वर्ष 2007 के लिए ''निन्दन'' की सजा देने का निर्णय लिया गया है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
राजेन्द्र राम, निदेशक (प्रशासन)–सह–अपर सचिव।

वाणिज्य–कर विभाग

आदेश

4 अगस्त 2011

सं० कौन/भी–804/99–141—बिहार वित्त सेवा के पदाधिकारी, श्री शैलेन्द कुमार कश्यप, तत्कालीन सहायक कोषागार पदाधिकारी, राँची सम्प्रति वाणिज्य–कर सहायक आयुक्त (निलंबित), वाणिज्य–कर संयुक्त आयुक्त (प्र०) पटना पूर्वी एवं पश्चिमी प्रमंडल, पटना का कार्यालय द्वारा पशुपालन विभाग के क्षेत्रीय पदाधिकारियों की मिली भगत से वित्तीय वर्ष 1992–93 से 1994–95 तक कतिपय सी० एन० सी० विपत्रों के माध्यम से कुल रू० 8.60 करोड़ की अवैध निकासी की गई। जाँच एजेन्सी सी०बी०आई० के द्वारा इसमें काण्ड संख्या 43(ए)/96 दर्ज किया गया। विभागीय अधिसूचना संख्या 4/CCT, दिनांक 5 फरवरी 1996 द्वारा उन्हें निलंबित किया गया तथा विभागीय अधिसूचना संख्या 229/सी०, दिनांक 26 फरवरी 1996 द्वारा सेवा से बर्खास्त किया गया। विधि विभाग, बिहार, पटना के आदेश संख्या 3757, दिनांक 30 जुलाई 1999 द्वारा अभियोजन की स्वीकृति प्रदान की गई।

2. माननीय उच्चन्यायालय, पटना द्वारा सी० डब्लू जे० सी०–4235/96 में दिनांक 29 अक्तूबर 1997 को पारित न्याय निर्णय के आलोक में निलंबन एवं बर्खास्तगी समाप्त की गयी। पुनः दिनांक 7 जून 2000 से 30 जनवरी 2001 तक न्यायिक

हिरासत में लिये जाने के कारण विभागीय अधिसूचना संख्या 58, दिनांक 11 जनवरी 2002 द्वारा दिनांक 7 जून 2000 के प्रभाव से अगले आदेश तक निलंबित किया गया। तदुपरांत विभागीय अधिसूचना संख्या 363, दिनांक 31 मई 2005 द्वारा निलंबन से मुक्त किया गया।

3. माननीय न्यायधीश, विशेष न्यायालय सी०बी०आई०, राँची द्वारा काण्ड संख्या 43(ए)/96 में दिनांक 31 जुलाई 2007 को न्याय–निर्णय पारित किया गया। इसमें विभिन्न धाराओं के अंतर्गत क्रमशः तीन वर्ष, एक वर्ष एवं दो वर्षो की सश्रम कारावास की सजा सुनायी गयी, जो साथ–साथ चलनी थी एवं कुल मिलाकर रु० 70,000 (सत्तर हजार रूपये) मात्र का आर्थिक दण्ड अधिरोपित किया गया। उक्त दोष सिद्धि के फलस्वरूप भारतीय संविधान के अनुच्छेद–311(2)(क) तथा सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र संख्या 7820, दिनांक 28 अक्तूबर 2003 में निहित प्रावधानों के अनुसार बिना विभागीय कार्यवाही संचालित किये सेवा से बर्खास्त करने का निर्णय लिया गया है।

4. इसी बीच एक अन्य घटना क्रम में पशुपालन घोटाले से संबंधित एक अन्य मामले सी०बी०आई०कांड संख्या–44(ए)/96 में दिनांक 10 दिसम्बर 2009 से 8 फरवरी 2010 तक कारावासित रहने व दिनांक 11 फरवरी 2010 को पुनः योगदान देने के कारण अधिसूचना संख्या 95, दिनांक 5 अप्रील 2010 द्वारा कारावासित अवधि को निलंबन अवधि मानते हुए दिनांक 11 फरवरी 2010 से उनका योगदान स्वीकार किया गया तथा पुनः बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली '2005 के नियम–9(1)(क) के तहत् अधिसूचना निर्गमन के तिथि से अगले आदेश तक के लिए निलंबित किया गया।

5. माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा MJC संख्या 3298/09 में दिनांक 5 मई 2010 को पारित न्यायादेश के आलोक में महाधिवक्ता, बिहार का परामर्श प्राप्त किया गया। महाधिवक्ता, बिहार का अभिमत हुआ कि बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण व अपील) नियामावली' 2005 के नियम 20(1) परन्तुक के अनुसार "कारण बताओ नोटिस" निर्गत किया जाता है तो उसे अनुशासनिक कार्रवाई प्रारंभ किया जाना माना जायेगा। इसके अनुपालन में विभागीय पत्रांक–56/सी०, दिनांक 25 अप्रील 2011 द्वारा कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया। श्री कश्यप् द्वारा समर्पित कारण बताओं नोटिस के जवाब की समयक् समीक्षोपरांत इसे स्वीकार करने योग्य नहीं पाया गया एवं 'बर्खास्तगी' के बिन्दु पर मुख्यमंत्री का आदेश प्राप्त किया गया।

अतः उन्हें तत्कालिक प्रभाव से सेवा बर्खास्त किया जाता है।

6. सेवा से बर्खास्तगी के प्रस्ताव पर बिहार लोक सेवा आयोग, पटना एवं मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति प्राप्त है।

बिहार–राज्यपाल के आदेशसे,
(ह०) अस्पष्ट,
वाणिज्य–कर आयुक्त–सह–सचिव।

वाणिज्य–कर विभाग

अधिसूचना
28 जुलाई 2011

सं० कौन/भी–803/99 (खंड)–132—श्री रणजीत सिंह, बर्खास्त जिला लेखा पदाधिकारी, सहरसा के विरुद्ध पशुपालन घोटाले से संबंधित दर्ज सी० बी० आई० कांड संख्या 23 (A)/96 में इनके निलंबन अवधि दिनांक 23 अप्रील 2008 से 5 दिसम्बर 2008 (कारावासित अवधि) के विनियमन का मामला विभाग में विचाराधीन था। इस संबंध में महाधिवक्ता, बिहार से प्राप्त परामर्श/मंतब्य की सम्यक् समीक्षोपरांत सरकार द्वारा इनके निलंबन अवधि दिनांक 23 अप्रील 2008 से 5 दिसम्बर 2008 को No work no pay के आधार पर बिना वेतन भुगतान के असाधारण अवकाश के रूप में स्वीकृत किये जाने का निर्णय लिया गया है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
(ह०) अस्पष्ट,
वाणिज्य–कर आयुक्त–सह–सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट, 23—571+**30**-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in